# <u>कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड–कानपुर।</u>

पत्रांक 739 / ल0सिं0 / लेखा / निर्माण कार्य निविदा / 2020–21 दिनांक–11.01.2021

## <u>ई–निविदा सूचना सं0 01 / 2020–21</u>

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड, कानपुर के अन्तर्गत कानपुर नगर एवं कानपुर देहात में मनरेगा / विभागीय निर्माण कार्यों की सामग्री की आपूर्ति एवं निर्माण हेतु ठेकेदारों से ऑनलाइन http://etender.up.nic.in के माध्यम से प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड एवं प्राईस–बिड / फाइनेन्शियल बिड, दिनांक **20.01.2021** से दिनांक **28.01.2021** अपरान्ह **6:00** बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड दिनॉक **29.01.2021** को पूर्वान्ह **11:00** बजे अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ के कार्यालय में अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष ऑन लाइन खोली जायेगी एवं प्री–क्वालीफिकेशन बिड में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के प्राइस बिड / फाइनेन्शियल बिड दिनांक **29.01.2021**को अपरान्ह **1:30** बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी। कार्यों का विवरण जनपद कानपुर नगर / कानपुर देहात की सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

यह निविदा / बिड सूचना उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट **http://upgov.nic.in** सूचना विभाग की वेबसाइट **http://information.up.nic.in** लघु सिंचाई विभाग के वेबसाइट **http:// minorirrigation.up.nic.in** एवं ई–टेण्डर पोर्टल **http://etender.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है तथा निविदा / बिड की विस्तृत शर्ते निविदा / बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी जो निविदा की वेबसाइट पर अपलोड रहेंगी। यह निविदा शासन से स्थलवार स्वीकृति की प्रत्याशा में आमंत्रित की जाती है।

1–**जिला योजना अर्न्तगत** पूरा बुजुर्ग चेकडैम ग्राम पंचायत बोझा, विकास खण्ड–शिवराजपुर, कानपुर नगर में **सामाग्री आपूर्ति का विवरणः–**

| क्र सं. | सामग्री का विवरण | इकाई | मात्रा | स्थान जहां आपूर्ति की जानी है | अनुमानित लागत (लाख में) | आपूर्तिकी अवधि | धरोहर धनराशि (लाख रू0 में) | निविदा अभिलेखों + स्टेशनरी का मूल्य रू0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | Supply of coarse sand FM above 2.25 | CUM | 280.46 | पूरा बुजुर्ग चेकडैम ग्राम पंचायत बोझा, विकास खण्ड–शिवराजपुर, कानपुर नगर। | 23.24 | 15 दिवस | 2.32 | 300+500=800 |
| **2** | Supply of Khanda stone 20x20x20cm | CUM | 163.86 | | | | | |
| **3** | Supply of Stone Grit (10mm-20mm) | CUM | 42.94 | | | | | |
| **4** | Supply of Stone Ballast (20-40mm) | CUM | 186.54 | | | | | |
| **5** | Supply of Boulder (25-40kg) | CUM | 243.20 | | | | | |

2–**जिला योजना अर्न्तगत** बसेन चेकडैम ग्राम पंचायत बसेन, विकास खण्ड–शिवराजपुर, कानपुर नगर में**सामाग्री आपूर्ति का विवरणः–**

| क्र सं. | सामग्री का विवरण | इकाई | मात्रा | स्थान जहां आपूर्ति की जानी है | अनुमानित लागत (लाख में) | आपूर्ति की अवधि | धरोहर धनराशि (लाख रू0 में) | निविदा अभिलेखों + स्टेशनरी का मूल्य रू0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | Supply of coarse sand FM above 2.25 | CUM | 287.31 | बसेन चेकडैम ग्राम पंचायत बसेन, विकास खण्ड–शिवराजपुर, कानपुर नगर। | 23.90 | 15 दिवस | 2.39 | 300+500 =800 |
| **2** | Supply of Khanda stone 20x20x20cm | CUM | 165.05 | | | | | |
| **3** | Supply of Stone Grit (10mm-20mm) | CUM | 47.64 | | | | | |
| **4** | Supply of Stone Ballast (20-40mm) | CUM | 206.39 | | | | | |
| **5** | Supply of Boulder (25-40kg) | CUM | 233.98 | | | | | |

**3–मनरेगा योजना अर्न्तगत** नन्दे तालाब ग्राम पंचायत बीरामऊ, विकासखण्ड–शिवराजपुर,कानपुर नगर में **सामाग्री आपूर्ति का विवरणः–**

| क्र0सं0 | सामग्री का विवरण | इकाई | मात्रा | स्थान जहां आपूर्ति की जानी है | अनुमानित लागत (लाख में) | आपूर्ति की अवधि | धरोहर धनराशि (लाख रू0 में) | निविदा अभिलेखों + स्टेशनरी का मूल्य रू0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | Supply of coarse sand FM above 2.25 | CUM | 19.20 | नन्दे तालाब ग्राम पंचायत बीरामऊ, विकास खण्ड–शिवराजपुर, कानपुर नगर। | 3.05 | 15 दिवस | 0.31 | 225+500 =725 |
| **2** | Supply of Brick Ballast 40mm | CUM | 22.50 | | | | | |
| **3** | Supply of M-150 Brick | NOS | 11450 | | | | | |
| **4** | Supply of Stone Grit (10mm-20mm) | CUM | 0.70 | | | | | |
| **5** | Supply of 1000mm Dia ISI Rcc spum pipe NP3 class | RM | 15 | | | | | |
| **6** | Supply of M.S. Iron Grill Complete | KG | 100 | | | | | |

**4–जिला योजना अर्न्तगत** गौरी बाघपुर ग्राम पंचायत बाघपुर, विकास खण्ड–मैथा, कानपुर देहात में **सामाग्री आपूर्ति का विवरणः–**

| क्र सं. | सामग्री का विवरण | इकाई | मात्रा | स्थान जहां आपूर्ति की जानी है | अनुमानित लागत (लाख में) | आपूर्ति की अवधि | धरोहर धनराशि (लाख रू0 में) | निविदा अभिलेखों + स्टेशनरी का मूल्य रू0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | Supply of coarse sand FM above 2.25 | CUM | 294.16 | गौरी बाघपुर ग्राम पंचयात बाघपुर, विकास खण्ड–मैथा, कानपुर देहात | 24.10 | 15 दिवस | 2.41 | 300+500=800 |
| **2** | Supply of Khanda stone 20x20x20cm | CUM | 167.45 | | | | | |
| **3** | Supply of Stone Grit (10mm-20mm) | CUM | 49.05 | | | | | |
| **4** | Supply of Stone Ballast (20-40mm) | CUM | 213.46 | | | | | |
| **5** | Supply of Boulder (25-40kg) | CUM | 238.49 | | | | | |

# नियम व शर्तें

1. ई–टेण्डर पोर्टल **http://etender.up.nic.in** पर प्री–क्वालीफिकेशन तकनीकी बिड़ के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–1), हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–2), शासन द्वारा निर्धारित घोषणा शपथ पत्र (17 बिन्दु आई0डी0टी0–3) रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर जो कि नोटरी द्वारा सत्यापित हो, जी.एस.टी. नम्बर, पैन नम्बर, आयकर क्लियरेन्स/आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियां एंव रू0 100.00 के नान–जुडिशियल स्टैम्प पेपर (जिस पर रूपये 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी)। धरोहर धनराशि व अन्य उपरोक्त प्रपत्रों/अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति उपरोक्त बेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

2. भागीदारी फर्म, पब्लिक/प्राइवेट कम्पनी द्वारा निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को प्री–क्वालीफिकेशन तकनीकी बिड के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा–

   (क)–फर्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

   (ख)–फर्म में मालिकाना हक से सम्बन्धित डीड।

3. धरोहर धनराशि , एन0एस0सी0, एफ0डी0आर0, सी0डी0आर0 जो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो एवं **अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड, कानपुर** के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है। इसकी स्कैन्ड कॉपी ऑन लाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारण्टी मान्य नहीं होगा। शासनादेश में निहित प्राविधान के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए कार्य की लागत की दो प्रतिशत धरोहर धनराशि अनुमन्य होगी। शेष जमानत की सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार अनुबन्ध के समय जमा करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित स्कैन्ड कॉपी बेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, लखनऊ में ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त कार्पोरेशन के माध्यम से ई–टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूरी करनी होगी।

5. नियमानुसार देयक से जी.एस.टी., आयकर, स्टाम्प डयूटी, रायल्टी, लेवरशेस एंव अन्य कोई कर (यदि लागू हो) की कटौती की जायेगी।शासन ,टी.ए.सी. अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता आदि पर यदि कोई वसूली आरोपित की जाती है तो उसकी वसूली नियमानुसार ठेकेदार से की जायेगी

6. आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

7. यह माना जाएगा कि निविदा देने वाले ने लघु सिंचाई विभाग के स्पेशिफिकेशन व निविदा के साथ संलग्न शर्तों, धाराओं व नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ व समझ लिया है। वह उनके अनुसार कार्य करने पर सहमत है। निविदादाता का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल पर सामग्री ले जाने हेतु पहुंच मार्ग का परीक्षण कर ले एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करे।

8. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

9. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध भी हो गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

10. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

11. राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

12. एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा डाल सकेगा। यदि एक ही व्यक्ति एक से अधिक फर्मो का प्रोपराईटर है, तो ऐसी स्थिति में भी एक कार्य की एक ही निविदा डाल सकेगा।

13. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

14. शासनादेश संख्या 622 दिनांक 08.06.2012 के अन्तर्गत ठेकेदार को 10 प्रतिशत बिलो दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी देय होगी।

15. बिना औचित्य एवं बिना किसी आधार के दरें डाले जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं निविदादाता पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

16. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड एवं विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

17. कार्यों के अनुबन्ध, बजट की उपलब्धता के अनुसार ही गठित किये जायेंगे।

18. ऐसे निविदादाता जिनके सगे सम्बन्धी या नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम ब्लड रिलेशन या उनके पति /पत्नी) प्रखण्ड/मण्डल कार्यालय में प्रखण्डीय लेखाधिकारी अथवा अधीक्षण अभियन्ता से अवर अभियन्ता के मध्य किसी पद/श्रेणी में तैनात अधिकारी हो, को निविदा डालने की अनुमति नहीं होगी।

19. कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा अराजपत्रित अभियन्ता/कर्मचारी, जो राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार के अभियन्त्रण विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हो, उसे सेवानिवृत्त के 2 वर्ष तक बिना सरकारी अनुमति के ठेकेदार के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई ठेकेदार अथवा उसके स्टाफ में इस प्रकार के कोई अधिकारी/कर्मचारी पाये जाते हैं तो उनका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

20. ऐसे निविदादाता जिन्होनें लघु सिंचाई विभाग से पूर्व में सामग्री आपूर्ति कार्य हेतु अनुबन्ध किया है और उनके द्वारा निर्धारित अवधि में सामग्री की आपूर्ति नहीं की गयी, ऐसे डिफाल्टर निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगें।

21. सशर्त या अपूर्ण निविदाएं अथवा प्रतिशत में दी गयी दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।

22. बिन्दु संख्या 10, 11 के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता को 10.00 रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के माध्यम से टेण्डर के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।

23. यदि निविदादाता मजदूरों को आपूर्ति स्थल पर रखता है तो उसे अपने खर्चे पर मजदूरों के रहने, पानी पीने, शौच, सफाई इत्यादि का उचित प्रबन्ध करना होगा। निविदादाता आपूर्ति करते समय कार्य में लगे मजदूरों को सभी प्रकार की दुर्घटना से बचाने का यथासम्भव प्रयत्न करेगा। केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सुरक्षा सम्बन्धी सलाहों, नियमों का कड़ाई से पालन करेगा। इस पर भी यदि आपूर्तित स्थल पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका नियमानुसार मुआवजा इत्यादि देने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इस सम्बन्ध में विभाग कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा।

24. निविदादाता अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, मोबाइल नम्बर व पता साफ–साफ लिखें। उसी पते पर उससे अनुबन्ध सम्बन्धी पत्र व्यवहार किया जायेगा। यह मान लिया जायेगा कि विभाग द्वारा उस पते पर भेजे गये सभी पत्र निविदादाता को मिल गए हैं। उस पते पर भेजे गये पत्रों की प्राप्ति का अचूक प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी निविदादाता पर होगी।

25. अनुबन्ध से सम्बन्धित सभी विवाद का फैसला आपस में बैठकर निविदादाता व सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता के बीच न होने पर निर्णयार्थ प्रकरण अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई वृत्त लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उनका निर्णय ठेकेदार व सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता दोनों पर मान्य होगा।

26. टेण्डर डालने से पूर्व निविदादाता स्थापना स्थल की जानकारी कर लें। अनुबन्ध के उपरान्त किसी प्रकार की समस्याओं का उत्तरदायित्व विभाग का न होगा ।

27. निविदादाता को दिये गये विभागीय रोस्टर पर ही आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रखण्ड–कानपुर।

पत्रांक एवं दिनॉक उपरोक्तानुार।

**प्रतिलिपि–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल ,कानपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, कानपुर कानपुर देहात।
4. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त–लखनऊ ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर कानपुर नगर/कानपुर देहात।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ ।
7. खण्डीय लेखाधिकारी लघु सिंचाई प्रखण्ड–कानपुर।
8. समस्त सहायक अभियन्ता, लधु सिंचाई वृत्त,लखनऊ ।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात की एन.आई. सी. की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रखण्ड–कानपुर।